सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 16, गुरुवार, शाके 1937–अक्टूबर 8, 2015

Asvina 16, Thursday, Saka 1937-October 8, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 8, 2015

संख्या प. 2 (41) विधि/2/2015:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 29)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 9 जून, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 89 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 89 में,-

(क) उप-धारा (1) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा।";

(ग) उप-धारा (6) में, वियमान अभिव्यक्ति "सीधी भर्ती" के पूर्व अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) के खण्ड (i), (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर और उप-धारा (3) के अधीन काडर में सम्मिलित पदों पर" अन्त:स्थापित की जायेगी;

(घ) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (6) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6-ख) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(6-क) उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, ऐसी एजेन्सी द्वारा उक्त पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जायेगी, जैसीकि विहित की जाये।"; और

(ङ) उप-धारा (8-क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सेवा के किसी भी सदस्य को" के पश्चात् और "एक पंचायत समिति से" के पूर्व अभिव्यक्ति "पदस्थापन के किसी स्थान से पदस्थापन के किसी अन्य स्थान पर, चाहे उसी पंचायत समिति के भीतर या" अन्त:स्थापित की जायेगी।

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 90 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 8, 2015

No. F. 2 (41) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Panchayati Raj (Chaturtha Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 29):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 29 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 7th day of October, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Fourth Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 9th June, 2015.

2. Amendment of section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(b) after the sub-section (1), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that selection for the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made at the State level.";

(c) in sub-section (6), after the existing expression "direct recruitment" and before the existing expression "shall be", the expression "to the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) and to the posts encadred under sub-section (3)'' shall be inserted;

(d) after the sub-section (6), so amended, and before the existing sub-section (6-B), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(6-A) Appointment by direct recruitment to the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, from out of the persons selected for the posts by such agency in such manner as may be prescribed."; and

(e) in sub-section (8-A), after the existing expression "any member of the service" and before the existing expression "from one

Panchayat Samiti", the expression "from any place of posting to any other place of posting whether within the same Panchayat Samiti or" shall be inserted.

3. Amendment of section 90, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In clause (a) of sub-section (2) of section 90 of the principal Act, for the existing expression "except the posts specified in clause (v) of sub-section (2) of section 89", the expression "except the posts specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89" shall be substituted.

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 4 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

5

Government Central Press Jaipur.